14.2.23 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट या स्वयं अपीलांट कोई उपस्थित नहीं आया। अपीलांट को बार-बार आवाजें लगाई गई। अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः अपील अपीलांट अड़ग हाजिरी व अड़ग पेरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली सिविल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर